न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/12

1. बाबू लाल पुत्र श्री किशन लाल मेघवाल ।
2. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी बाबू लाल मेघवाल निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर (चडीन्दा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला बेवा स्व0 मांगीलाल बैरवा ।
2. हेमराज पुत्र स्व0 मांगीलाल बैरवा ।
3. सलोचना
4. अनिता पुत्री स्व0 मांगीलाल बैरवा नाबालिग जरिये वली माता कमला निवासीगण आरामपुरा खेडा रसूलपुर हाल निवासी केशवपुरा, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पारस चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, प्रार्थी श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री रामरतन जी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम चढीन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वर्तमान खसरा नम्बर 348 रकबा 0.67 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 354 मिन रकबा 0.93 हैक्टर कुल 02 किता की 1.60 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि पर जिस पर प्रतिवादी क्रम 01 ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया था जिसके विरूद्ध वादीगण ने धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा में वाद पेश किया

जिसे न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने दिनांक 18.06.1998 को स्वीकार करते हुए वादीगण को मौके पर कब्जा संभला दिया तब से वादीगण उक्त भूमि पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर पुनः प्रतिवादी कम 1 कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादीगण को उक्त भूमि की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण गैर कानूनी रूप से कब्जा नहीं करे, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.12.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी 1 व 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाद में दिनांक 25.04.2007 को प्रभूलाल प्रतिवादी की मृत्यु होने के उपरान्त समय पर उसके कायममुकामान नहीं बनाये जाने पर प्रतिवादी बाबूलाल व श्रीमती पार्वती बाई की ओर से एक प्रार्थना पत्र अबेटमेंट दावा प्रस्तुत किया था जिसका निरस्तारण किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में पहले अबेटमेंट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक था । उसके बाद ही साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता था। वादग्रस्त आराजी दिनांक 30.09.1998 को जरिये इकरारनामा पार्वती बाई को विक्रय करके कब्जा संभला दिया तथा तब से ही मांगीलाल का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा में धारा 183 बी का वाद पेश किया था जो एक तरफा निर्णित करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

7. न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र रामप्रसाद बैरवा की ओर से अनतर्गत आदेश 41 नियम 20 और आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है । प्रार्थी ने हेमराज पुत्र श्री मांगीलाल एंव श्रीमती कमला पत्नी मांगीलाल से दिनांक 17.06.2000 को 50000/– रूपये में विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । इकरारनामे पर विक्रेतागण के हस्ताक्षर हैं और इकरारनामा नोटेरी से तस्दीकशुदा है । क्रय की दिनांक से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है । प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है, प्रार्थी के आराजी में हित–निहित हैं । अतः प्रार्थी को पक्षकार बनाया जावे ।

8. एक राजीनामा पक्षकरान के द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो चुका है । वादी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाहते हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 को निरस्त किया जावे ।

9. यह राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया ।

10. बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

11. विद्वान् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने यह कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य अब कोई विवाद नहीं रहा है, राजीनामा हो गया है । वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई सहायता नहीं चाहते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

12. विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी अपीलान्ट ने कथन किया कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया था जिसमें वादी की इच्छा के विरूद्ध किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया जा सकता । वादी रेस्पोडेन्ट प्रार्थी से कोई रिलिफ नहीं चाहता है इसलिए प्रार्थी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

13. विद्वान् प्रार्थी ने कथन किया कि राजीनामा विधि–विरूद्ध है । प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था । विक्रय के लिए इकरारनामा दिनांक 18.08.2000 को ही विक्रेतागण ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया जो नोटेरी से तस्दीकशुदा है । प्रार्थी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है उनको पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे और राजीनामा विधि–विरूद्ध होने के कारण उसे अस्वीकार किया जावे । वादी परीक्षण न्यायालय में अपने दावे को विड्रो कर सकते हैं अपील में विड्रो नहीं कर सकते । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1984 पेज 221, एआईआर 1992 पेज 380 उद्धरत की ।

14. प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अखबार में प्रकाशन दिनांक 05.07.2019 खण्डन का प्रकाशन दिनांक 12.07.2019 और विधिक नोटिस दिनांक 12.07.2019 फर्द के साथ पेश किये जो शामिल मिसल किये गये ।

15. जहॉ तक प्रार्थी को अपील में पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है, वादीगण ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया है और धारा 188 के दावे में जिनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा चाही जा रही है उन्हीं को पक्षकार बनाया जाता है । यदि वादी प्रार्थी को दावे में पक्षकार नहीं बनाना चाहते हैं और उनके खिलाफ कोई सहायता नहीं चाहते हैं तो उनको हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता ।

16. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी जरिये इकरारनामा जो कि अपंजीकृत है के आधार पर क्रय करना बताया है जबकि इकरारनामे से आराजी क्रय करने पर

कोई सहायता प्रार्थीगण को राजस्व न्यायालय से प्रदान नहीं की जा सकती वरन् उन्हें सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए ।

17. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है और गैर खातेदार को आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 और आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

18. पक्षकारान के द्वारा जो राजीनामा पेश किया गया है उसके अनुसार वादी रेस्पोडेन्ट अपीलान्टगण के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाहते हैं व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करवाना चाहते हैं । इस राजीनामे को सभी पक्षकारान ने सही होना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा किया जाना उचित समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 निरस्त किया जाता है ।

20. निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13-8-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/12

1. बाबू लाल पुत्र श्री किशन लाल मेघवाल ।
2. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी बाबू लाल मेघवाल निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर (चडीन्दा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमला बेवा स्व0 मांगीलाल बैरवा ।
2. हेमराज पुत्र स्व0 मांगीलाल बैरवा ।
3. सलोचना
4. अनिता पुत्री स्व0 मांगीलाल बैरवा नाबालिग जरिये वली माता कमला निवासीगण आरामपुरा खेडा रसूलपुर हाल निवासी केशवपुरा, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 740/दावा/2001

1. श्रीमती कमला बेवा स्व0 मांगीलाल बैरवा ।
2. हेमराज पुत्र स्व0 मांगीलाल बैरवा ।
3. सलोचना
4. अनिता पुत्री स्व0 मांगीलाल बैरवा नाबालिग जरिये वली माता कमला निवासीगण आरामपुरा खेडा रसूलपुर हाल निवासी केशवपुरा, कोटा ।

——वादी

बनाम

1. बाबू लाल पुत्र श्री किशन लाल मेघवाल ।
2. श्री प्रभू लाल पुत्र श्री किशन लाल मेघवाल निवासी खेडा रसूलपुर चढीन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी बाबू लाल मेघवाल निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर (चडीन्दा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 13.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री पारस चन्द जैन एवं प्रार्थी श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री रामरतन की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 13.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

13/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा